भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 882
उत्तर देने की तारीख 27.06.2019

खादी उद्योग का विकास

882. एडवोकेट अदूर प्रकाशः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) खादी उद्योग के विकास के लिए कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत जारी की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) उक्त अवधि के दौरान खादी कामगारों के कल्याण हेतु कार्यान्वित योजनाओं और केन्द्र द्वारा प्रदान की गई सहायता का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री
(श्री नितिन गडकरी)

(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय खादी उद्योग के विकास के लिए केवीआईसी के माध्यम से देश भर में निम्नलिखित स्कीमें/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा हैः

(i) **<u>खादी अनुदानः</u>**

1. विद्यमान कमजोर खादी संस्थाओं की अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण एवं विपणन अवसंरचना के लिए सहायता में खादी बिक्री केन्द्रों के नवीकरण का प्रावधान है तथा यह विद्यमान कमजोर चयनित संस्थाओं की अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता दे रहा है।
2. वर्कशेडों के निर्माण के लिए सहायता देने हेतु खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम।

ii) **<u>बाजार संवर्धन विकास सहायता (एमपीडीए)</u>**- बाजार विकास सहायता, प्रचार, विपणन एवं बाजार संवर्धन का विलय करके एक एकीकृत स्कीम बनाई गई है। अवसंरचना के एक नये घटक अर्थात् विपणन परिसरों/खादी प्लाजाओं की स्थापना को खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों के विपणन नेटवर्क को बढ़ाने के लिए जोड़ा गया है। संशोधित एमडीए (एमएमडीए) के अंतर्गत उत्पादक संस्थाओं (20%), विक्रेता संस्थाओं (10%) तथा कारीगरों (40%) के बीच मूल लागत की 30% की दर पर वित्तीय सहायता वितरित की जाती है।

iii) **<u>ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (आइसेक)</u>** स्कीम में खादी संस्थाओं की आवश्यकतानुसार बैंकों के माध्यम से रियायती ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाता है। संस्थाओं को मात्र 4 प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है, बैंकों द्वारा 4 प्रतिशत से अधिक प्रभारित ब्याज भारत सरकार द्वारा केवीआईसी के माध्यम से बैंकों को भुगतान किया जाएगा।

iv) **<u>खादी सुधार और विकास कार्यक्रम (केआरडीपी)</u>** का उद्देश्य खादी की वर्धित संपोषणीयता स्पिनरों एवं बुनकरों के लिए वर्धित आय और वर्धित रोजगार, कारीगर कल्याण के साथ खादी क्षेत्र का पुनरुद्धार करना तथा ग्रामोद्योग के साथ सहयोगात्मकता (सिनर्जी) प्राप्त करना है। केआरडीपी के अंतर्गत 105 मिलियन अमरीकी डॉलर की पुनर्संरचित राशि का एशियन विकास बैंक (एडीबी) से प्रबंध किया गया है और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के माध्यम से बजटीय आवंटन के अंतर्गत 'सहायता अनुदान' के रूप में केवीआईसी को जारी किए जाने के लिए भारत सरकार को निधियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। खादी सुधार पैकेज में निम्नलिखित क्षेत्रों (i) कारीगरों की आय एवं सशक्तीकरण (ii) 400 खादी संस्थाओं को प्रत्यक्ष सुधार सहायता तथा (iii) वेल निट (Well- knit) एमआईएस के कार्यान्वयन में सुधार सहायता की परिकल्पना है।

v) **<u>कमजोर खादी संस्थाओं की अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण एवं विपणन अवसंरचना के लिए सहायता:</u>** इस स्कीम में 'घ' से 'ग' श्रेणी में उन्नत रूग्ण/समस्याग्रस्त संस्थाओं तथा वे जिनका उत्पादन, बिक्री एवं रोजगार कम होते आ रहे हैं, के पालन-पोषण के लिए खादी क्षेत्र हेतु आवश्यकता आधारित सहायता का प्रावधान है। इस स्कीम के अंतर्गत, विद्यमान कमजोर खादी संस्थाओं को उनकी अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण एवं खादी बिक्री केन्द्रों के नवीकरण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

vi) **<u>परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि स्कीम (स्फूर्ति)</u>** उद्योगों एवं कारीगरों को क्लस्टरों में संगठित कर खादी, ग्रामोद्योग और कयर परंपरागत उद्योगों को अधिक उत्पादक एवं प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए 2005-06 से कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम में उत्पादन उपकरणों को बदलने, सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी) स्थापित करने, उत्पाद विकास, गुणवत्ता सुधार, उन्नत विपणन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, आदि के लिए आवश्यकता आधारित सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की जाती है।

आर्थिक कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने खादी क्षेत्र के लिए रोजगार युक्त गाँव को हाल ही में अनुमोदित किया है। इसमें खादी के संपूर्ण उत्पादन एवं बिक्री के लिए उद्यम संचालित व्यवसाय साझेदार शामिल होगा।

(ख) विगत तीन वर्षों के लिए वर्कशोड स्कीम, एमपीडीए आइसेक, केआरडीपी तथा स्फूर्ति के अंतर्गत प्रयुक्त निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्योरा अनुबंध-I में दिया गया है।

चालू वर्ष 2019-20 के दौरान, 31.05.2019 की स्थिति के अनुसार क्रमशः एमपीडीए तथा आइसेक स्कीमों के तहत 0.02 करड़ रु. तथा 4.03 करोड़ रु. संवितरित किए गए हैं।

(ग) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में सरकार खादी कामगारों के लिए निम्नलिखित कल्याणकारी स्कीमें कार्यान्वित करती रही हैः

(i) आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) (पूर्ववर्ती खादी कारीगर जनश्री बीमा योजना) खादी कारीगरों को बीमा कवर प्रदान करने की एक समूह बीमा स्कीम है। यह स्कीम प्रति लाभार्थी 100/- रू. के वार्षिक प्रिमियम के साथ भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के सहयोग से खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा तैयार की गई जिसमें सामाजिक सुरक्षा निधि से केन्द्र सरकार द्वारा 50/- रू., खादी संस्था द्वारा 25/- रू. तथा खादी कारीगरों और केवीआईसी प्रत्येक द्वारा 12.50/- रू. के अनुपात में हिस्सेदारी है। यह स्कीम 18 वर्ष से लेकर 59 वर्ष के बीच के आयु वर्ग के कारीगरों के लिए उपलब्ध है। इस स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध क्षतिपूर्ति निम्नानुसार हैः

प्राकृतिक मृत्यु के मामले में:	30,000/- रू.
दुर्घटना में मृत्यु के मामले में:	75,000/- रू.
दुर्घटना के कारण पूर्ण स्थायी विकलांगता के मामले में:	75,000/- रू.
दुर्घटना के कारण आंशिक स्थायी विकलांगता के मामले में:	37,500/- रू.

एएबीवाई स्कीम को दिनांक 01.06.2017 से कोर स्कीम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)/प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) खादी कारीगरों को बीमा कवर प्रदान करने के लिए संशोधित एएबीवाई की ओर अभिमुख किया गया था। उपर्युक्त बीमा स्कीम का ब्योरा निम्नलिखित हैं:

क्र.सं.	स्कीम का नाम	कवर किए गए कारीगरों की अर्हक आयु	प्रीमियम	बीमित धनराशि
1.	एसएसपीएमजेजेबीवाई/ पीएमएसबीवाई	18 से 50 वर्ष	342/-रु. (मंत्रालय से 242/- रु.+एसएसएफ से 100/- रु.)	किसी भी कारण से मृत्यू होने पर 2.00 लाख रु.
2.	संशोधित एएबीवाई	51 से 59 वर्ष	100/-रु. (मंत्रालय से 50/- रु.+एसएसएफ से 50/- रु.)	मात्र विद्यमान/प्रचलित स्कीमों के अनुसार

किसी अतिरिक्त प्रीमियम के बिना एक 'एडऑन'शैक्षणिक लाभ (शिक्षा सहयोग योजना) के रूप में बीमित कारीगरों के विद्यालय जाने वाले दो बच्चे तक जो कक्षा 9 से 12 में (आईटीआई सहित) अध्ययनरत है,वे राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल 2.0 के माध्यम से प्रति तिमाही 300/-रु. की छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं।

इस स्कीम के अंतर्गत, प्रीमियम मास्टर नीति के लिए केंद्रीय ईव पर दी जाती है इसलिए राज्यवार निधियां आबंटित नहीं की जाती हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान दी गई प्रीमियम राशि निम्नलिखित हैं:

वर्ष	चुकायी गई किश्त
2016-17	37.28 लाख
2017-18	60.00 लाख
2018-19	9.38 करोड़

(ii) कारीगर कल्याण निधि न्यास की स्थापना राज्य स्तर पर कारीगरों के लाभ के लिए की गई है। खादी कारीगरों की कताई मजदूरी को दिनांक 01.04.2017 से 4.00 रु. से संशोधित करके 5.50 प्रति हैंक किया गया और इसे आगे केवीआईसी के दिनांक 26.12.2017 के परिपत्र द्वारा 5.50 रु. से बढ़ाकर 7.50 प्रति हैंक किया गया।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 27.06.2019 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 882 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

विगत तीन वर्षों के दौरान एमपीडीए स्कीम के अंतर्गत एमएमडीए का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संवितरण

(रु. लाख में)

क्रं.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19 (अनंतिम)
1.	जम्मू और कश्मीर	820.11	0.42	725.71
2.	हिमाचल प्रदेश	180.17	44.32	58.37
3.	पंजाब	89.34	67.26	19.46
4.	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	-	-	0.00
5.	हरियाणा	4127.22	1179.72	905.45
6.	दिल्ली	35.01	56.64	18.98
7.	राजस्थान	1667.39	417.42	413.01
8.	उत्तराखंड	308.29	86.45	319.34
9.	उत्तर प्रदेश	6817.83	4331.50	2801.32
10.	छत्तीसगढ़	630.52	504.49	101.19
11.	मध्य प्रदेश	433.84	51.87	79.12
12.	सिक्किम	-	-	0.00
13.	अरुणाचल प्रदेश	-	4.08	1.32
14.	नागालैंड	-	1.77	12.59
15.	मणिपुर	6.55	7.55	3.65
16.	मिजोरम	-	-	0.00
17.	त्रिपुरा	4.50	-	0.00
18.	मेघालय	4.79	1.35	0.00
19.	असम	232.84	161.17	127.47
20.	बिहार	243.76	99.93	11.57
21.	पश्चिम बंगाल	5192.64	3183.46	4145.34
22.	झारखंड	99.54	63.84	31.60
23.	ओडिशा	147.43	1370.13	19.20
24.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	0.00
25.	गुजरात *	1996.98	1369.88	2318.47
26.	महाराष्ट्र **	32.72	73.51	71.60
27.	गोवा	-	-	0.00
28.	आंध्र प्रदेश	547.16	396.51	813.73
29.	तेलंगाना	82.36	76.88	160.14
30.	कर्नाटक	3132.12	587.61	4570.27
31.	लक्षद्वीप द्वीपसमूह	-	-	0.00
32.	केरल	1803.32	1095.50	1849.86
33.	तमिलनाडु	3613.43	2026.45	4523.33
34.	पुडुचेरी	-	-	0.00
35.	विभागीय	276.00	-	0.00
36.	पुस्तक समायोजन	-	-	0.00
	कुल योग	**32525.86**	**17259.71**	24102.09

*** दमण और दीव सहित**

**** दादरा और नगर हवेली सहित**

विगत तीन वर्षों के दौरान एमपीडीए स्कीम के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार खादी संस्थाएं (केआई)

क्रं.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19 (अनंतिम)
1	जम्मू और कश्मीर	6	85	1
2	हिमाचल प्रदेश	10	10	6
3	पंजाब	15	11	7
4	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	0	0	0
5	हरियाणा	91	102	26
6	दिल्ली	4	4	0
7	राजस्थान	91	89	84
8	उत्तराखंड	28	33	25
9	उत्तर प्रदेश	486	509	357
10	छत्तीसगढ़	15	14	13
11	मध्य प्रदेश	14	11	10
12	सिक्किम	0	0	0
13	अरुणाचल प्रदेश	1	1	0
14	नागालैंड	1	1	1
15	मणिपुर	4	4	2
16	मिजोरम	0	0	0
17	त्रिपुरा	0	0	0
18	मेघालय	1	1	1
19	असम	15	16	5
20	बिहार	37	26	11
21	पश्चिम बंगाल	294	292	298
22	झारखंड	11	10	7
23	ओडिशा	55	57	47
24	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
25	गुजरात	124	125	126
26	महाराष्ट्र	9	8	7
27	गोवा	0	0	0
28	आंध्र प्रदेश	52	76	96
29	तेलंगाना	6	7	9
30	कर्नाटक	137	137	134
31	लक्षद्वीप	0	0	0
32	केरल	23	23	23
33	तमिलनाडु	70	68	67
34	पुडुचेरी	0	0	0
	योग	**1600**	**1720**	**1363**

विगत तीन वर्षों के दौरान आइसेक स्कीम के अंतर्गत निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संवितरण

(रु. लाख में)

क्रं.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19 (अनंतिम)
1.	जम्मू और कश्मीर	48.17	3.06	53.05
2.	हिमाचल प्रदेश	83.19	124.23	61.08
3.	पंजाब	36.06	27.74	14.72
4.	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	-	-	0.00
5.	हरियाणा	300.91	296.11	281.86
6.	दिल्ली	8.71	14.39	4.39
7.	राजस्थान	151.70	126.55	97.02
8.	उत्तराखंड	136.01	131.78	138.79
9.	उत्तर प्रदेश	1279.90	1392.35	914.51
10.	छत्तीसगढ़	56.60	55.67	46.81
11.	मध्य प्रदेश	21.53	71.92	16.44
12.	सिक्किम	-	-	0.00
13.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	0.00
14.	नागालैंड	-	-	0.00
15.	मणिपुर	0.59	-	0.00
16.	मिजोरम	-	-	0.00
17.	त्रिपुरा	-	-	0.00
18.	मेघालय	-	-	0.00
19.	असम	3.12	31.03	2.27
20.	बिहार	33.15	43.34	17.32
21.	पश्चिम बंगाल	216.49	325.54	234.47
22.	झारखंड	6.02	0.00	0.00
23.	ओडिशा	16.59	24.10	17.36
24.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	0.00
25.	गुजरात *	206.68	218.66	121.80
26.	महाराष्ट्र **	147.20	5.57	4.75
27.	गोवा	-	-	0.00
28.	आंध्र प्रदेश	30.07	23.22	21.05
29.	तेलंगाना	17.91	8.71	11.81
30.	कर्नाटक	314.95	391.72	438.21
31.	लक्षद्वीप द्वीपसमूह	-	-	0.00
32.	केरल	150.02	193.45	242.27
33.	तमिलनाडु	693.03	682.64	686.33
34.	पुडुचेरी	-	-	0.00
35.	विभागीय	-	1742.64	0.00
36.	पुस्तक समायोजन	-	500.00	0.00
	कुल योग	**3958.60**	**6434.42**	**3426.31**

*** दमण और दीव सहित**

**** दादरा और नगर हवेली सहित**

विगत तीन वर्षों के दौरान वर्कशेड स्कीम के अंतर्गत निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संवितरण

(रु. लाख में)

क्रं.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19 (अनंतिम)
1.	जम्मू और कश्मीर	-	-	0
2.	हिमाचल प्रदेश	12.00	72.00	15.00
3.	पंजाब	12.00	39.00	0
4.	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	-	-	0
5.	हरियाणा	132.00	30.60	0
6.	दिल्ली	-	-	0
7.	राजस्थान	90.00	-	0
8.	उत्तराखंड	15.00	-	0
9.	उत्तर प्रदेश	831.00	600.00	301.10
10.	छत्तीसगढ़	127.00	-	0
11.	मध्य प्रदेश	12.00	12.00	0
12.	सिक्किम	-	-	0
13.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	0
14.	नागालैंड	-	18.00	0
15.	मणिपुर	-	-	0
16.	मिजोरम	-	-	0
17.	त्रिपुरा	-	-	0
18.	मेघालय	-	-	0
19.	असम	109.80	102.00	0
20.	बिहार	12.00	-	6.00
21.	पश्चिम बंगाल	60.00	60.00	0
22.	झारखंड	30.00	-	12.00
23.	ओडिशा	48.00	48.00	0
24.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	0
25.	गुजरात *	120.00	-	0
26.	महाराष्ट्र **	27.00	12.00	15.00
27.	गोवा	-	-	0
28.	आंध्र प्रदेश	120.00	67.80	6.00
29.	तेलंगाना	39.00	48.00	3.00
30.	कर्नाटक	120.00	228.00	45.00
31.	लक्षद्वीप द्वीपसमूह	-	-	0
32.	केरल	168.00	102.20	0
33.	तमिलनाडु	42.00	60.00	44.00
34.	पुडुचेरी	-	-	0
35.	विभागीय	-	-	0
36.	पुस्तक समायोजन	-	-	0
	योग	**2126.80**	**1499.60**	**447.10**

* दमण और दीव सहित

** दादरा और नगर हवेली सहित

विगत तीन वर्षों के दौरान केआरडीपी स्कीम के अंतर्गत निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संवितरण

(रु. लाख में)

क्रं.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19 (अनंतिम)
1.	जम्मू और कश्मीर	-	-	6.00
2.	हिमाचल प्रदेश	0.70	-	93.00
3.	पंजाब	0.50	-	3.00
4.	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	-	-	0.00
5.	हरियाणा	5.63	-	11.25
6.	दिल्ली	-	-	11.50
7.	राजस्थान	0.48	-	9.50
8.	उत्तराखंड	1.20	-	6.43
9.	उत्तर प्रदेश	1.60	-	56.83
10.	छत्तीसगढ़	310.43	-	8.64
11.	मध्य प्रदेश	0.22	-	11.75
12.	सिक्किम	-	-	3.00
13.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	3.00
14.	नागालैंड	-	-	3.00
15.	मणिपुर	238.49	-	3.00
16.	मिजोरम	-	-	3.00
17.	त्रिपुरा	-	-	3.00
18.	मेघालय	-	-	3.00
19.	असम	1.41	-	8.50
20.	बिहार	5.89	-	7.50
21.	पश्चिम बंगाल	17.65	-	511.16
22.	झारखंड	1.40	-	15.87
23.	ओडिशा	0.76	-	6.00
24.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	0.00
25.	गुजरात *	6.69	-	6.37
26.	महाराष्ट्र **	57.00	-	18.88
27.	गोवा	-	-	3.00
28.	आंध्र प्रदेश	17.56	-	18.08
29.	तेलंगाना	0.48	-	3.00
30.	कर्नाटक	6.99	-	144.88
31.	लक्षद्वीप द्वीपसमूह	-	-	0.00
32.	केरल	42.15	-	45.45
33.	तमिलनाडु	2.86	-	116.75
34.	पुडुचेरी	-	-	0.00
35.	विभागीय	254.26	60.00	4829.31
36.	पुस्तक समायोजन	-	-	0.00
	कुल	**974.35**	**60.00**	**5973.65**

*** दमण और दीव सहित**

**** दादरा और नगर हवेली सहित**

विगत तीन वर्षों के दौरान स्फूर्ति स्कीम के अंतर्गत निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संवितरण

(रु. लाख में)

क्रं.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19 (अनंतिम)
1.	जम्मू और कश्मीर	-	-	
2.	हिमाचल प्रदेश	-	-	
3.	पंजाब	-	-	65.45
4.	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	-	-	
5.	हरियाणा	-	53.30	115.78
6.	दिल्ली	-	5.82	
7.	राजस्थान	-	-	57.60
8.	उत्तराखंड	-	46.47	
9.	उत्तर प्रदेश	-	11.18	291.61
10.	छत्तीसगढ़	-	16.99	0.00
11.	मध्य प्रदेश	-	87.08	
12.	सिक्किम	-	-	
13.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	41.65
14.	नागालैंड	-	-	
15.	मणिपुर	-	17.55	131.69
16.	मिजोरम	-	-	
17.	त्रिपुरा	-	-	
18.	मेघालय	-	-	
19.	असम	-	-	
20.	बिहार	-	55.95	
21.	पश्चिम बंगाल	-	27.86	82.83
22.	झारखंड	-	-	
23.	ओडिशा	-	68.74	
24.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	
25.	गुजरात *	-	14.25	
26.	महाराष्ट्र **	-	43.81	114.27
27.	गोवा	-	-	
28.	आंध्र प्रदेश	-	-	239.99
29.	तेलंगाना	-	-	
30.	कर्नाटक	-	66.29	118.58
31.	लक्षद्वीप द्वीपसमूह	-	-	
32.	केरल	-	-	
33.	तमिलनाडु	-	35.25	64.90
34.	पुडुचेरी	-	-	
35.	विभागीय	-	134.09	
36.	पुस्तक समायोजन	-	-	
	योग	**0.00**	**684.63**	**1324.35**

* दमण और दीव सहित

** दादरा और नगर हवेली सहित